रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-04/2022/2411/22-2-2021-17(205)2017

लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-302/2021 जाजू बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाजू (बन्दी संख्या-13850) पुत्र श्री हकीमुद्दीन निवासी ग्राम-जलालपुर, थाना-बिनौली, जनपद-बागपत हाल पता-इन्द्रापुरी चौकी, इन्डस्ट्रीयल एरिया दो नम्बर के पास, थाना-लोनी, जनपद-गाजियाबाद, जिन्हे सत्र परीक्षण संख्या-ए463/1974 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 27.02.1975 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.03.1979 द्वारा यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.11.2021 तक 18 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार काटी गयी सजावधि, संतोषजनक जेल आचरण तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने के आधार पर सलाहकार समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उसकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2022/2411(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-24114/2021/**SEC-X**, दिनांक 30.03.2022 के सन्दर्भ में।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

6- श्री सर्वेश सिंह बघेल, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 29.03.2022 के सन्दर्भ में ।

7- नोडल अधिकरी/ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

10- श्रीमती अमाना पत्नी श्री जाजूद्दीन उर्फ जाजू, इन्द्रपुरी नियर चौकी, इण्डस्ट्रियल एरिया के पास 2 नम्बर थाना लोनी, जनपद-गाजियाबाद को राज्यपाल महोदया को प्रेषित पत्र दिनांक 31.03.2021 के सन्दर्भ में।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in